कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची।
वन भवन, डोरण्डा, रांची- 834002 (झारखंड)
E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651-2482386

पत्रांकः– 110 दिनांकः– 07.01.23

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
एन0एच0ए0आई0, धनबाद।

विषयः– **भारतमाला परियोजना (जैनामोड़–गोला–ओरमांझी खण्ड) पथ निर्माण हेतु राँची वन प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि रकवा– 4.2557 हे0 के संबंध में।**

प्रसंगः– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची का पत्रांक–1690 दिनांक–31.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक् प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि विषयक् प्रस्ताव में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची ने कुल–7 बिन्दुओं पर पृच्छा किया है, जिसमें बिन्दु संख्या–2 एवं 6 का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।

अनुरोध है कि बिन्दु संख्या–2 एवं 6 का निराकरण करते हुए संशोधित फार्म 'A' आठ प्रति में यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

07/01/23

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।

07/01

कार्यालय :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, रांची।
वन भवन, ब्लॉक 'बी', डोरण्डा, रॉंची–834002
ई–मेलः– cf-ranchi@gov.in फोनः–(0651)–2481814 मोः–8987790111

पत्रांकः– 1690 दिनांकः– 31/12/22

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
रॉंची वन प्रमण्डल, रॉंची।

विषयः– भारतमाला परियोजना(जैनामोड़–गोला–ओरमांझी खण्ड) पथ निर्माण हेतु रॉंची वन प्रमण्डल, रॉंची अंतर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि रकबा – 4.2557हे0 के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 4978 दिनांक 06.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में आपके द्वारा भारतमाला परियोजना (जैनामोड़– गोला– ओरमांझी खण्ड) पथ निर्माण हेतु रॉंची वन प्रमण्डल, रॉंची अंतर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि रकबा – 4.2557हे0 का प्रस्ताव समर्पित किया गया है, प्रस्ताव के अवलोकन में निम्नांकित त्रुटियाँ पायी गई हैः–

1. Annexures में एकरूपता नही है (क्रम सं0 2 एवं 4 की कंडिकाओं का Annexure 'B' दर्शाया गया है)।
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रॉंची द्वारा समर्पित उक्त प्रस्ताव के पार्ट –II तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन भूमि की स्थिति 0.7698 हे0(संरक्षित वन) एवं 3.4859 हे0(जंगल–झाड़) कुल 4.2557 हे0 दर्शाया गया है। परन्तु प्रस्ताव के Annexure 3 रॉंची जिला के Plot wise Forest land Details में 1.6810 हे0 (संरक्षित वन) एवं 2.5747 हे0(जंगल–झाड़) कुल 4.2557 हे0 दर्शाया गया है। जो एक दुसरे से भिन्न है, स्थिति स्पष्ट किया जाय।
3. Part-II के कंडिका(2) में रकबा विवरणी में आंशिक सुधार किया जाना है।
4. Part –II के कंडिका(XI) में पुनर्विचार कर endangered animal के तौर पर हाथियों के पाये जाने के बारे में स्पष्ट मंतव्य दिया जाना अपेक्षित है।
5. Part –II 10(2) में अंकित राशि का सुधार अपेक्षित है।
6. Part –I के कंडिका J, K एवं L में सुधार अपेक्षित है। तीनों बिन्दुओं के बारे में स्पष्ट उल्लेख अंकित किया जाना है।
7. राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारणय/हाथियों के कॉरिडोर से 10 कि0मी0 परिधि दर्शाते हुये नक्शा संलग्न नही है।

प्रस्ताव को मूलरूप में लौटाया जाता है। अतः उक्त समर्पित प्रस्ताव में पायी गई त्रुटियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः समर्पित की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

अनु0:– प्रस्ताव की 7 प्रतियॉं मूल रूप में।

आपका विश्वासी,

31/12/22
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, रांची।

D:\SR\FC_Act\Bharatmala_Jainamore_ormanjhi.doc